अनुदान संख्या 21 – रक्षा पेंशन
GRANT No. 21 - DEFENCE PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*2,46,00*	*5,80,00*	*7,79,74*	*+1,99,74*
पूरक	*Supplementary*	*3,34,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	112077,11,00	117804,64,00	117802,44,59	-2,19,41
पूरक	Supplementary	5727,53,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, हालांकि मार्च, 2020 में *₹334.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त किया गया था, फिर भी व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹ 199.74 लाख* अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय *₹1,99,73,484* था)। **अधिक व्यय के लिए संसद द्वारा अधिक अनुदान मांगों की स्वीकृति के विनियमन की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुईं :–

Notes and comments

1. In the charged portion of the grant, although supplementary *appropriation* of *₹ 334.00 lakhs* was obtained in March, 2020, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *₹199.74 lakhs* (actual excess was *₹ 1,99,73,484*). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	*O.*	*246.00*	*580.00*	*779.74*	*+199.74*
पू.	*S.*	*334.00*			

(I) "रक्षा – सेना – पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" के अंतर्गत – *₹ 224.45 लाख* का अधिक व्यय (*₹ 318.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित *₹ 498.00 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) अधिक संख्यां में न्यायिक मामलों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुआ।

(I) Under "Defence - Army - Pension and other Retirement Benefits" - excess of *₹ 224.45 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹498.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *₹318.00 lakhs*) was due to finalisation of more court cases.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय *₹1.00 लाख* की बचत के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया जो कि एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. The above excess was partly offset by a saving of *₹1.00 lakh* which remained wholly unutilized under one head.

3. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

3. In the voted portion of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	11207711.00	11780464.00	11780244.59	-219.41
पू.	S.	572753.00			

(I) "रक्षा" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्निलिखित शीर्षों के तहत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(I) Supplementary grant obtained under "Defence" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "सेना – छुट्टी नकदीकरण" – ₹372838.31 लाख के मूल प्रावधान को ₹7713.47 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹380551.78 लाख किया गया था जो, तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम छुट्टी होने के कारण ₹3767.43 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Army - Leave Encashment" - the original provision of ₹372838.31 lakhs was augmented to ₹380551.78 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7713.47 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3767.43 lakhs - due to less number of leave at credit of the retirees.

(खा) "वायु सेना – पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" – ₹997145.41 लाख के मूल प्रावधान को ₹121979.67 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1119125.08 लाख किया गया जो, तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की कम संख्या के कारण ₹4679.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Air Force - Pension and other Retirement Benefits" - the original provision of ₹997145.41 lakhs was augmented to ₹1119125.08 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹121979.67 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹4679.88 lakhs - due to less number of retirees.

(II) "रक्षा–नौसेना – छुट्टी नकदीकरण" के अंतर्गत – ₹2340.28 लाख की बचत (₹30326.89 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम छुट्टी के कारण हुई।

(II) Under "Defence-Navy-Leave Encashment" - saving of ₹2340.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30326.89 lakhs) was due to less number of leave at credit of the retirees.

4. उपर्युक्त बचतें "रक्षा" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

4. The above savings were offset by excess under "Defence" - under the following heads:-

(I) "सेना – पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" – ₹3555.44 लाख का अधिक व्यय (₹366206.68 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹9512438.37 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(I) "Army- Pension and other Retirement Benefits" - excess of ₹3555.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9512438.37 lakhs including supplementary grant of ₹366206.68 lakhs); and

(II) "नौसेना – पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" – ₹2337.23 लाख का अधिक व्यय (₹72680.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹655967.11 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) "Navy-Pension and other Retirement Benefits" - excess of ₹2337.23 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹655967.11 lakhs including supplementary grant of ₹72680.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to more number of retirees.

(III) "वायुसेना – छूट्टी नकदीकरण" – ₹4676.82 लाख का अधिक व्यय (₹4117.33 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹79968.92 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अधिक छुट्टी होने के कारण हुआ।

(III) "Air Force-Leave Encashment" - excess of ₹4676.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹79968.92 lakhs including supplementary grant of ₹4117.33 lakhs) was due to more number of leave at credit of the retirees.